


आदेश

मुख्यालय द्वारा समय समय पर अपीलों की फीडिंग से सम्बंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु पीठ कार्यालयों को परिपत्र निर्गत किये जाते हैं। सदस्य पीठ-प्रथम, लखनऊ में इन्टरनेट न होने के कारण अपीलो की फीडिंग से सम्बंधित परिपत्रों का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा मुख्यालय पर बजट/लेखा सम्बंधी कार्य भी इन्टरनेट न होने कारण वाधित रहता है।

अतः वाणिज्य कर भवन के प्रथम तल स्थित ए ब्लॉक में मुख्यालय सहित सदस्य पीठ-प्रथम, लखनऊ में इन्टरनेट नेटवर्किंग/सम्बंधित इलेक्ट्रिक सप्लाय सिस्टम को सही कराये जाने हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ एवं निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय की एक दो सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम, लखनऊ (अध्यक्ष)
2. श्री तरुण कुमार, निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, मुख्यालय (सदस्य)

उक्त समिति नियमों के अन्तर्गत शासकीय वेबसाईड 'जेम' पर अपलब्ध कोटेशन अथवा स्थानीय बाजार पर उपलब्ध कोटेशन के निम्नतम आधार पर उक्त कार्य किये जाने की प्रगति रिपोर्ट 10 दिवस के अन्दर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदनुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तद्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. ~~कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।~~
2. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ पीठ प्रथम, लखनऊ।
3. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वरिष्ठ सहायक-नाजिर, मुख्यालय।
5. वेबअधिकारी, कम्प्यूटरकेन्द्र, मुख्यालय।

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ